-प्रेस नोट-

दिनांकः 19.06.2026

"नशेकेअंधकारसेजीवनकेउजालेकीओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला – 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 115 ग्राम अवैध चरस बरामद

*श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा"** – **"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"**अभियान चलाया जा रहा है।*

*अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन सवेरा" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा दिनांक 19.06.2026 को चैकिंग के दौरान नशा तस्कर अभियुक्त **अलीशान उर्फ लिल्ला पुत्र रफीक निवासी जनता पैलेस फिरदौस मस्जिद के पास मौहल्ला धौबीवाला थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को रेलवे अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 115 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 311/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अलीशान उर्फ लिल्ला पुत्र रफीक निवासी जनता पैलेस फिरदौस मस्जिद के पास मौहल्ला धौबीवाला थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 440/20 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना को0 देहात जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 441/20 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना को0 देहात जिला सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 143/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 198/25 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 07/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 09/21 धारा 414/420/467/468/471/482 भादवि थाना मण्डी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- *115 ग्राम अवैध चरस*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0निरी0 श्री चन्द्रसेन सैनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

2. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

3. है0का0 881 धीरज थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

4. का0 2025 रहीसुद्दीन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

5. रि0का0 2040 प्रिन्स थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 19.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 18.06.2026 को मुकदमा वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त नितीन पुत्र रगवीर निवासी ग्राम सकलापुरी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिक पुत्री उम्र 16 वर्ष के साथ दुष्कर्म करने के सम्बंध मे दाखिल किया था जिसके सम्बंध मे थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 290/26 धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट मे पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात श्री हृदय नारायण सिह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.06.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त नितीन पुत्र रगवीर निवासी ग्राम सकलापुरी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को चकदेवली कट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पताः-

नितीन पुत्र रगवीर निवासी ग्राम सकलापुरी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. म0उ0नि0 रश्मि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. है0का0 736 दीपक नागर सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. है0 का0 241 कपिल थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 1906.2026.

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा एक्सीडेन्ट की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 18.06.2026 को वादिया श्रीमति ममता पत्नि विरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम भाभरी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर मो0नं0 8445909109 की लिखित तहरीर बाबत कार रजि0नं0 PB 02 DY-7034 के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा अपनी गाडी को बहुत तेजी व लापरवाही से चलाकर वादिया के भतीजे रितिक के छोटे हाथी मे जोरदार टक्कर मार देना जिससे वादिया के भतीजे का घायल हो जाना व इलाज के दौरान उसकी मृत्यू हो जाने के सम्बन्ध मे थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 -184/26 धारा 281/125(B)/106(1)/324(4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में तेजी व लापरवाही से वाहन चलाने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.06.2026 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त राजन बावा पुत्र शिव चरन निवासी म0नं0 123 वार्ड नं0 13 बटाला रोड गोकल विहार थाना सदर मझिठा रोड अमृतसर, पंजाब को कोलकी पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राजन बावा पुत्र शिव चरन निवासी म0नं0 123 वार्ड नं0 13 बटाला रोड गोकल विहार थाना सदर मझिठा रोड अमृतसर, पंजाब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1.उ0नि0 श्री अभिनव कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर
2.रि0का0 854 सूरज सिहं थाना गागलहेडी सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक-19.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर--सत्र न्यायाधीश एडीजे05 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को गैंगस्टर के मामले में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

अवगत कराना है, कि दिनांक 18.07.को वादी निरीक्षक सुधीर कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनुपर 2006 1 द्वारा अभियुक्त-राजीव पुत्र जयराम सैनी नि171 0/सी खलासी लाईन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर 2-देशराज पुत्र रामपाल हाल निवासी कादरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा अपने साथियों के साथ गैंग बनाकर फिरौती जैसे अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित करना तथा जनता में भय व आतंक व्याप्त करने की सूचना पर मु0स0अ0-268/2 धारा 2006/ 3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-48/पर 2007 -माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-05 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 19.06. .1 को अभियुक्त 2026राजीव पुत्र जयराम सैनी निवासी171 /सी खलासी लाईन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को मु0स0अ0-268/2 धारा 2006/गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाते हुए जुर्म इकबा 3ल के आधार पर वर्ष का कठोर 02 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 0हजार रू 05 कारावास व

नोटः- अभियुक्त देशराज पुत्र रामपाल हाल निवासी कादरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली की मृत्यु।

- शासकीय अधिवक्ताए) -0डी0जी0सी0 (श्री मेघराज सिंह चौहान
- विवेचकउप निरीक्षक श्री आर-0के0 धारीवाल
- पैरोकारका -0 2328 कौशल थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

“ऑपरेशन सवेरा”

दिनांक- 19.06.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही

अवैध नशा तस्करी पर सहारनपुर पुलिस टीम का करारा प्रहार —आबकारी विभाग एवं थाना नकुड पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 02 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 3.761 किलो ग्राम अवैध गांजा , 216 ग्राम चरस, 01 इलैक्ट्रानिक काँटा, पैकेंजिंग पॉलीथीन व 5730/- रूपये बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्र0नि0 श्री देवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आबकारी विभाग सहारनपुर व थाना नकुड पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में दिनांक 18.06.2026 को चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1. ईश्वर चौधरी पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गदरहेडी थाना सरसावा जनपद सहानरपुर 2. टिन्कू उर्फ कौशेन्द्र पुत्र ओम सिंह निवासी ग्राम नैनखेडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर को किशोरी लाल गाँधी स्मारक इण्टर कॉलिज के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 3.761 किलो ग्राम अवैध गांजा व 216 ग्राम चरस, एक इलैक्ट्रानिक काँटा, पैकेंजिंग पॉलीथीन व 5730 रुपये नकद बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 336/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर पजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.ईश्वर चौधरी पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गदरहेडी थाना सरसावा जनपद सहानरपुर

2.टिन्कू उर्फ कौशेन्द्र पुत्र ओम सिंह निवासी ग्राम नैनखेडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- *3.761 किलो ग्राम अवैध गांजा*
- *216 ग्राम चरस,*
- *एक इलैक्ट्रानिक काँटा,*

- *पैकेंजिंग पॉलीथीन व 5730/- रुपये नकद*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u> -

1. आबकारी निरीक्षक श्री अक्षय कुमार आबकारी क्षेत्र-2 सहारनपुर
2. प्र0नि0 श्री देवेश शर्मा कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
3. उ0नि0 श्री राकेश शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. आबकारी है0का0 परमवीर सिंह आबकारी क्षेत्र-2 सहारनपुर
5. आबकारी है0का0 वैभव कुमार आबकारी क्षेत्र-2 सहारनपुर
6. आबकारी का0 मयंक सिंह आबकारी क्षेत्र-2 सहारनपुर
7. है0का0 482 बलराम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
8. रि0आ0 1655 जोगेन्द्र थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुरउत्तर प्रदेश ,

थाना सरसावा साइबर हेल्प डेस्क द्वारा पीडित के खाते से साइबर फ्राड कर ठगी गई 63565 -/ रूपये की 100% धनराशि कराई गई वापस

अवगत कराना है कि दिनांक को वादी श्री 13.06.2026 मुकेश कुमार निवासी एआरसी सरसावा जनपद सहारनपुर के द्वारा अवगत कराया कि अज्ञात साइबर ठग द्वारा वादी को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढाने को बोलकर 63565 रूपये की धनराशि की ठगी कर ली गयी है। जिसके -/सम्बन्ध में थाना सरसावा साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर क्राईम की वेबसाइट cybercrime.gov.in पर वादी की शिकायत संख्या 33106260137609 दर्ज करायी गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व फ्राड में गयी धनराशि को पीडितो के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे थाना सरसावा साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा उक्त शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वादी मुकेश की ठगी गयी कुल 63565/- रूपये की धनराशि Reliance Retail Ltd मे लीन करायी गयी थी। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 19/06/2026 को थाना साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा पीडित के कुल 63565/- रूपये की 100% धनराशि वापस करायी गयी है । पीडित द्वारा थाना सरसावा साइबर हेल्प डैस्क टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है ।

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम -

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. म0उ0नि0 अन्नू परिहार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. क0आ0 सुमित कुमार सरसावा जनपद सहारनपुर
4. म0का0 871 रश्मि थाना सरसावा जनपद सहरनपुर
5. का0 2377 ब्रिजेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
6. का0 2404 अमित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांक -19.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी महोदय बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक सूबे सिह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.06.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 अभियुक्त 1. राजीव पुत्र हुकम सिह निवासी ग्राम अलीपुर नौगावा थाना मिर्जापुर सहारनपुर को कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत ग्राम अलीपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः -

राजीव पुत्र हुकम सिह निवासी ग्राम अलीपुर नौगांवा थाना मिर्जापुर सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः -

1.उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

2.का0 1879 अमित कुमार थाना मिर्जापुर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक-19.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-05 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को गैंगस्टर के मामले में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

अवगत कराना है, कि दिनांक 18.07.2006 को वादी निरीक्षक सुधीर कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनुपर द्वारा अभियुक्त 1-राजीव पुत्र जयराम सैनी नि0 171/सी खलासी लाईन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर 2-देशराज पुत्र रामपाल हाल निवासी कादरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा अपने साथियों के साथ गैंग बनाकर फिरौती जैसे अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित करना तथा जनता में भय व आतंक व्याप्त करने की सूचना पर मु0अ0स0-268/2006 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-48/2007 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-05 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 19.06.2026 को अभियुक्त 1. राजीव पुत्र जयराम सैनी निवासी 171/सी खलासी लाईन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0-268/2006 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर 02 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोटः- अभियुक्त देशराज पुत्र रामपाल हाल निवासी कादरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली की मृत्यु।

- शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज सिंह चौहान
- विवेचक-उप निरीक्षक श्री आर0के0 धारीवाल
- पैरोकार- का0 2328 कौशल थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।